

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15 / 2009:-...../राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री विमल कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियंता को लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या-4409 दिनांक-05.08.2013 द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने श्री झा, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / --

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1868

/राँची, दिनांक:- 11/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री विमल कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो संप्रति-सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, नहर एवं नहर संरचना, रूपांकण अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

10/7/14